P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-7* October- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियमः एक अध्ययन
(पंचायत सदस्यों की अनर्हता संबंधी प्रावधानों के विशेष संदर्भ में)

नरेन्द्र सिंह
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
डी0ए0वी0(पी0जी0) कॉलेज,
देहरादून, उत्तराखण्ड, भारत

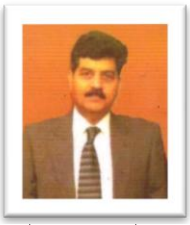

अजेय सक्सेना
एसोसिएट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
डी0ए0वी0 (पी0जी0) कॉलेज,
देहरादून, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ कही जाने वाली पंचायतीराज व्यवस्था के लागू होने से हमारे लोकतंत्र में एक नवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ है क्योंकि सदियों से जिन वंचित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों का हनन होता रहा उन्हें पंचायतीराज व्यवस्था में आरक्षण के द्वारा उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। और समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं का ना केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से भी सशक्तिकरण किया गया। हालांकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा समस्त ग्रामीण भारत में पंचायतीराज व्यवस्था लागू की गईं। लेकिन अविभाजित उत्तर प्रदेश में पंचायतों का इतिहास लगभग सात दशक पुराना है। आगे चलकर उत्तराखण्ड के पृथक राज्य बनने के पश्चात् राज्य में ' उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016' अस्तित्व में आया। जिसके अन्तर्गत महिलाओं को पंचायतों में पचास प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया और साथ ही पंचायत सदस्य चुनाव लड़ने के लिए कुछ विशेष अनर्हताओं का उपबन्ध किया गया। जैसे– घर में शौचालय का ना होना, दो से अधिक जीवित संतान का ना होना और साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को पूर्ण ना करना आदि। उपरोक्त अधिनियम के प्रमुख प्रावधान है। जोकि बदलते वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा जून 2019 में ' उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016' में संशोधन किया गया।

मुख्य शब्द : राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विकेन्द्रीकरण, त्रिस्तरीय पंचायतीराज, राजनीतिक जागरूकता।

प्रस्तावना

नव गठित राज्य उत्तराखण्ड में पंचायतीराज की ऐतिहासिक पृष्टभूमि की शुरूआत अविभाजित उत्तर प्रदेश के 'संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947' के द्वारा हुईं थी। लेकिन 9 नवम्बर 2000 को उत्तराखण्ड का एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद भी 'उत्तर–प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1947' मे उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कुछ संशोधनों के साथ यथावत् लागू किया गया। और इसके साथ ही उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 19 दिसम्बर 2002 को पंचायतीराज विभाग के संरचनात्मक ढाँचे का गठन किया गया और पंचायतीराज विभाग के निदेशालय का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किया गया (ukpr.gov.in)। और इसी क्रम में आगे चलकर संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में निहित सत्ता के विकेन्द्रीकरण की मूल भावना को सुदृढ़ करने के लिए उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा 'उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक 2016' पारित किया गया। और संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के मूल प्रावधानों के अनुरूप उत्तराखण्ड में भी त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था को अपनाया गया। जिसके अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला पंचायत, विकासखण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत स्थापित की गई। और महिलाओं को पंचायतों में पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अत्यन्त सराहनीय पहल है इस प्रकार 'उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016' एवं संशोधित प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड में पहली बार अक्टूबर 2019 में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव सम्पंन कराए गए।

अध्ययन का महत्व

भारतीय राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो पंचायतें भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता रही है। और वर्तमान समय में भी पंचायतीराज व्यवस्था के कारण ना केवल ग्रामीण विकास तेजी से हुआ है बल्कि आम जनमानस में राजनीतिक जागरूकता का भी प्रसार हुआ है। और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित पंचायतीराज व्यवस्था ने भारतीय लोकतन्त्र को सुदृढ़

किया है इस प्रकार पंचायतीराज व्यवस्था का भारतीय लोकतंत्र में विशेष महत्व है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है–

1. उत्तराखण्ड में पंचायतीराज व्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन करना।
2. 'उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016' में उल्लिखित पंचायत सदस्यों की अनर्हता संबंधी प्रावधानों का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय एवं शोध प्रविधि

उत्तरांचल 9 नवम्बर 2000 ई0 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर भारतीय संघ के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम उत्तरांचल से उतराखण्ड हो गया। उत्तराखण्ड के पृथक राज्य निर्माण के प्रमुख कारणों में पहाड़ की भौगोलिक विषमताएं, आर्थिक पिछड़ापन तथा सांस्कृतिक विविधता एवं पहाड़ी क्षेत्रों का विकास आदि प्रमुख मुद्दे थे। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तराखण्ड 13 जिलों एवं दो मण्डलों क्रमशः गढ़वाल एवं कुमाऊँ में बाँटा गया है। यद्यपि पृथक राज्य बनने के दो दशक बाद भी राज्य की स्थाई राजधानी का चयन नही हो पाया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तराखण्ड के पंचायतीराज की ऐतिहासिक पृष्टभूमि एवं उत्तराखण्ड के नवीन पंचायतीराज अधिनियम 2016 में उपबन्धित पंचायत सदस्यों के उम्मीदवारों के संबंध में अनर्हताओं के प्रावधानों का वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। और साथ ही अध्ययन कार्य को पूर्ण करने में द्वितीयक प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया गया है।

उत्तराखण्ड में पंचायतीराज की ऐतिहासिक पृष्टभूमि

भारत में पंचायतें प्राचीनकाल से निरंतर किसी ना किसी रूप में अवश्य विघमान रही है। जैसा कि वैदिक काल में सभा एवं समिति का उल्लेख मिलता है और गाँव का प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। मौर्य काल में स्थानीय शासन अत्यधिक विकसित था और कौटिल्य ने भी ग्राम शासन के संबंध में अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ में विस्तृत चर्चा की है (माहेश्वरी 20)। जबकि स्वतन्त्र भारत में महात्मा गाँधी के विचारों के परिणामस्वरूप हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में राज्य को पंचायतों के गठन के निदेश दिए गए। और अन्ततः 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9, अनुसूची 11 एवं अनुच्छेद 243 में पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

तत्कालीन उत्तर प्रदेश में पंचायतों की शुरूआत 'संयुक्त प्रांत पंचायतीराज अधिनियम 1947' से हुई। और तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई और तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश की पांच करोड़ चालीस लाख ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारम्भ किया। इसके साथ ही लगभग आठ हजार पंचायत अदालतें भी स्थापित कि गई, तद्उपरान्त वर्ष 1952 से पंचायतों ने ग्रामीण स्तर पर सुनियोजित तरीके से राष्ट्र निर्माण का कार्य करना प्रारम्भ किया और इसी वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना भी प्रारम्भ हुई। तथा योजना की सफलता के लिए सरकार द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य मनोनीत किए गए और साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री, विकास समितियों का भी मंत्री नियुक्त किया गया एवं जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान मनोनीत किया गया। और 1952–53 में जमींदारी विनाश के उपरांत गाँव समाज की स्थापना हुई और गाँव सभाओं के अधिकारों में वृद्धि कि गई, इसी क्रम में आगे चलकर 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव सम्पन्न हुआ। जिसके अन्तर्गत गाँव सभा एवं गाँव समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। तथा 1955 के चुनाव के उपरांत पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया। जबकि वर्ष 1960–61 में पंचायतीराज अधिनियम को संशोधित किया गया और गाँव पंचायतों तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया। जिसके अनुसार गाँव सभा के प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होने लगा। तथा आगे चलकर बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में गांव सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। 1988 में पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन किया गया और गांव पंचायतों के सदस्य पदों पर 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रधान किया गया। आगे चलकर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ जो 24 अप्रैल 1993 से सम्पूर्ण ग्रामीण भारत में लागू हुआ और 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक 1994 पारित किया, जो 22 अप्रैल 1994 से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ जिसके अन्तर्गत 'संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम 1947' तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एंव जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया। और राज्य में तीनों स्तर की पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत) में एकरूपता स्थापित करना सुनिश्चित किया गया (Panchayatiraj.up.nic.in)।

9 नवम्बर 2000 के बाद भी 2016 तक उत्तराखण्ड में 'संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947' के द्वारा ही त्रिस्तरीय पंचायतें संचालित होती रही हालांकि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर उपरोक्त अधिनियम में संशोधन भी किये गए। इसके पश्चात उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड पंचायतीराज विधेयक 2016' पर दिनांक 4 अप्रैल, 2016 को राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। जोकि 'उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016' के रूप में अस्तित्व में आया और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 7 अप्रैल

2016 को सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया। एवं तत्काल प्रभाव से लागू किया गया (ukpr.gov.in 1)।

पंचायत सदस्यों की अनर्हता से संबन्धित प्रावधान

पंचायत सदस्यों के अनर्हता से संबन्धित प्रावधानों के विषय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243च के उपबन्धों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए, 21 वर्ष की आयु से कम एवं संबन्धित राज्य की विधानमण्डल के निर्वाचन के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए। पंचायतीराज राज्य सूची का विषय होने के कारण पंचायतों से संबन्धित विस्तृत कानून बनाने की शक्ति संबन्धित राज्य के विधानमण्डल में निहित है (बसु 278)।

उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त, 'उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016' के उपबन्धों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पंचायत सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि–

1. वह ग्राम पंचायत का वैतनिक सदस्य हो तो वह ग्राम पंचायत चुनाव के लिए अनर्ह होगा।
2. वह व्यक्ति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी आदि के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो।
3. वह किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पद से हटाया गया हो।
4. उस पर पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या अन्य देय बकाया हो।
5. किसी भी नगर निकाय का सदस्य हो।
6. दिवालिया घोषित किया गया हो।
7. वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
8. उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत तीन माह की सजा दी गई हो।
9. उसे ऐसोसिएशन सप्लाइज अधिनियम, 1946 के उल्लंघन के कारण 6 माह से अधिक की सजा दी गई हो।
10. उसे स्वापक (नशीली दवा) औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो।
11. उसे संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के अन्तर्गत तीन महीने से अधिक की सजा दी गई हो।
12. उसे निर्वाचन से सम्बन्धित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो।
13. वह संयुक्त प्रांत सामाजिक निर्योग्ताओं का निराकरण मूल अधिनियम 1947 अथवा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के अन्तर्गत दोषी पाया गया हो।
14. वह उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 138 के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया हो (धारा 138 में पंचायत पदाधिकारियों को उनके पद से पृथक किए जाने के सम्बन्ध में उपबन्ध है)।
15. भ्रष्टाचार के कारण भी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
16. पंचायत चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के घर में यदि शौचालय स्थापित नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा।
17. यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उपबन्धित प्रावधानों में न्यायालयों द्वारा दोषी पाया गया हो।
18. यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का वैतनिक सेवक हो या किसी नगर निकाय का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष हो तो वह व्यक्ति क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा।
19. यदि किसी महिला प्रधान या उप प्रधान या सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य अथवा ब्लॉक प्रमुख या ज्येष्ठ उप प्रमुख अथवा कनिष्ठ उप प्रमुख या जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के स्थान पर उसका पति अथवा अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार, सम्बन्धित पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एंव पंचायत से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करें और उस पर आरोप साबित हो जाए तो ऐसी स्थिति में महिला एवं सम्बन्धित व्यक्ति दोनों ही आगामी पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएंगे (16,17,36,37,54,55)।

उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त पंचायत सदस्यों के अनर्हता के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जून 2019 में 'उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016' में संशोधन किया गया जिसे राज्यपाल ने 25 जूलाई 2019 को अपनी स्वीकृति प्रदान की, और इस संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान किये गए कि ऐसे माता–पिता जिनके दो से अधिक जिवित संतान है, वे पंचायत चुनाव के लिए अनर्ह होंगें, और साथ ही पंचायत उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित की गई, जिसके अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के पुरूष उम्मीदवारों के लिए हाईस्कूल उतीर्ण एंव सामान्य श्रेणी की महिलाओं व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरूष उम्मीदवारों के लिए आठवीं कक्षा उतीर्ण जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए पांचवीं कक्षा उतीर्ण निर्धारित की गई, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सामान्य श्रेणी के समान निर्धारित की गई (Indiatoday.in)।

उक्त संशोधित प्रावधानों के संबंध में उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान एसोसिएशन एवं अन्य द्वारा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिसके संबंध में नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा 19 सितम्बर 2019 को फैसला सुनाया गया और कहा गया कि 25 जुलाई 2019 के बाद से ही दो से अधिक बच्चों की शर्त का नया प्रावधान लागू होगा। हालांकि उत्तराखण्ड सरकार का तर्क था कि जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए उक्त संशोधन किया गया, लेकिन अदालत ने इसे पिछली तिथि से लागू करने से इनकार किया। इसके अतिरिक्त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को अदालत ने सही माना, और इसमें कोई भी बदलाव करने से इनकार किया (Hindustantimes.com)। और उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितम्बर 2019 को अपने फैसले में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के फैसले को उचित ठहराया और फैसले में बदलाव करने से इनकार किया।

उपरोक्त प्रावधानों की तरह अन्य राज्यों में भी पंचायत चुनाव में दो बच्चों की शर्त से सम्बन्धित कानून राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छतीसगढ़, गुजरात ,उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम में पारित किए जा चुके है। लेकिन मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश में बाद में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त को समाप्त किया गया। और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के संबंध में राजस्थान, हरियाणा एवं असम में भी कानून पारित किया गया, लेकिन राजस्थान में फरवरी 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से संबन्धित प्रावधानों को समाप्त किया गया। और इसके अतिरिक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के घर में शौचालय की अनिवार्यता के संबंध में बिहार, कर्नाटक एवं असम जैसे राज्य कानून बना चुके है। लेकिन कुछ समय पश्चात् बिहार में, बिहार सरकार ने शौचालय की अनिवार्यता से सम्बन्धित प्रावधान को समाप्त कर दिया (Panchayat.gov.in 9)।

इस प्रकार उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम में संशोधित प्रावधान वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल एवं एक सराहनीय पहल है। जैसे कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त ना केवल जनसंख्या नियंत्रण में कारगर साबित होगी बल्कि लिगांनुपात में भी एक आदर्श संतुलन कायम हो पाएगा। और दो बच्चों की शर्त ना केवल पंचायत चुनावों में बल्कि देश में सभी स्तर के चुनावों एवं सरकारी सेवाओं तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने आदि के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। जिससे की प्रभावी रूप से देश में परिवार नियोजन लागू हो सकें। लेकिन दो बच्चों की शर्त संबंधी प्रावधानों में कुछ विशेष परिस्थितियों में शिथिलता भी प्रदान की जानी चाहिए जैसे– किसी दंपति के दूसरे बच्चे के जन्म पर जुड़वाँ बच्चे पैदा होना आदि। वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करना इस बात का द्योतक है कि वर्तमान सूचना एवं प्रौद्यौगिकी के बढ़ते प्रयोग के कारण जन प्रतिनिधियों का शिक्षित एवं जागरूक होना भी अति आवश्यक हैं। परन्तु लोकतंत्र की मूल भावना पर विचार करें तो प्रतीत होता है कि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने से कहीं लोग चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएगें जिससे की समाज में असमानता उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि जहाँ एक ओर उत्तराखण्ड में 2011 की जनगणना के अनुसार 78.82 प्रतिशत लोग ही साक्षर है, वहीं दूसरी ओर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण कर देना अव्यावहारिक प्रतीत होता है। और इस तरह के बदलाव के लिए समाज में शैक्षिक स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए, और बदलाव ना केवल निम्न स्तर पर बल्कि लोक सभा, राज्य सभा एवं राज्यों के विधानमण्डलों में भी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय का आवश्यक होना 'स्वच्छ भारत' अभियान की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। वैसे तो उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य को खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है। और खुले में शौच मुक्त राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड देश में चौथा राज्य घोषित किया गया था (jagran.com)। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की वर्ष 2018 की रिर्पोट के अनुसार उत्तराखण्ड सरकार द्वारा खुले में शौच से मुक्त के संबंध में की गई घोषणा सही नहीं थी (dailypioneer.com)। और वास्तविक धरातल पर उत्तराखण्ड 2017 की बजाय 2019 तक भी पूर्णतः खुले में शौच मुक्त राज्य नहीं बन पाया है।

निष्कर्ष

इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की शर्त एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का लागू करना तथा पहाड़ों से पलायन की लगातार बढ़ती समस्या इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सदस्यों के लिए उम्मीदवार उपलब्ध होना एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड सरकार की नीतियों की बात करें तो हमेशा से ही पहाड़ केन्द्रित नीति की वकालत होती रही है लेकिन पंचायतों में उपरोक्त प्रावधान लागू करना एवं पहाड़ केन्द्रित नीति की वकालत करना सरकार की नीतियों में स्पष्ट रूप से विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि उपरोक्त प्रावधानों के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श करना अति आवश्यक है। और पलायन की समस्या को ध्यान में रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

पंचायतें लोकतंत्र की आधारशिला है और बदलते वर्तमान परिदृश्य में एक सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए किसी भी सकारात्मक बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार का यह भी परम कर्तव्य है कि किसी भी ऐसे बदलावों से पहले एक समतामूलक समाज की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे की समाज के सभी वर्गों अर्थात समाज का अंतिम व्यक्ति भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निहित अपने राजनीतिक अधिकारों का पूर्ण लाभ उठा सके। और तब ही सही मायनों में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की अवधारणा साकार हो पाएगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

बसु, दुर्गा दास. भारत का संविधान - एक परिचय . आठवां संस्करण, वाधवा , 2006.

"BRGF, Backward Region Grant Fund, Finance Commission, 13th FC, 13 Finance Commission, Thirteen Finance Commission,12 Finance Commission, 12 FC, State Finance Commission, SFC, Panchayat, Panchayati Raj Department, Panchayati Raj Institution, Panchayati Raj, Ministry Of Panchayati Raj, Government Of India, Zila Parishad, District Panchayat,

Panchayat Samiti, Block Panchayat, Gram Panchayat, Government of Bihar." Panchayati Raj Department, Government of Bihar, www.biharprd.bih.nic.in/.

ET Bureau. Assam Cabinet Prescribes Two Child Norm and Educational Qualification for the GMC. Economic Times, 23 July 2019, economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/assam-cabinet-prescribes-two-child-norm-and-educational-qualification-for-the-gmc/articleshow/70349584.cms.

"Explained: What Is Uttarakhand's 2-Child Condition, Education Criteria for Panchayat Polls." India Today, 28 June 2019, www.indiatoday.in/fyi/story/what-is-uttarakhand-2-child-condition-education-criteria-for-panchayat-elections-1557153-2019-06-27.

"Important Links." Panchayati Raj - Raj Panchayat > Home, www.rajpanchayat.rajasthan.gov.in/.

माहेश्वरी, एस.आर. भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल , 2014.

"Navigation." Action Research - Ministry of Panchayati Raj, panchayat.gov.in/action-research.

Nawani, Lokesh, and Kalyan singh Rawat. Uttarakhand Year Book. Winsar Publishing Company, 2018.

"ODF Status Declaration in 2017 Was Incorrect, States CAG Report." The Pioneer, 21 Sept. 2018,www.dailypioneer.com/2018/state-editions/odf-status-declaration-in-2017-was-incorrect--states-cag-report.html.

"'Those Having over 2 Kids before July 25 Can Fight Panchayat Poll': Uttarakhand HC." Hindustan Times, 20 Sept. 2019, www.hindustantimes.com/dehradun/those-having-over-2-kids-before-july-25-can-fight-panchayat-poll-uttarakhand-hc/story-KZrXjrPcujt843XW14rgII.html.

"Two-Child Policy in Indian States." The Indian Express, 23 Oct. 2019, indianexpress.com/article/india/two-child-policy-in-indian-states-6082879/.

"Uttarakhand Panchayat Raj Act 2016." Department of Panchayati Raj, Govt of Uttarakhand, 7 Apr. 2016, ukpr.gov.in.

''उत्तराखण्ड बना देश का चौथा खुले में शौच से मुक्त राज्य,'' दैनिक जागरण, 6 June 2017, www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-uttarakhand-became-fourth-odf-state-of-country-16153675.html.

"उत्तम प्रदेश' उन्नत प्रदेश" Panchayati Raj Department - Uttar Pradesh, panchayatiraj.up.nic.in/.